न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकडी

(पीठासीन अधिकारी विकास पंचौली)
आर.ए.एस
प्रकरण सं./अपील/एल.आर./01/2022

1. दीपा चौधरी पुत्री स्व0 महादेव जाति जाट निवासी चापानेरी तहसील भिनाय जिला केकडी

प्रार्थीया/अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत चापानेरी जरिये सरपंच/सचिव
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला केकडी (राजस्थान)

रेस्पोडेण्ट्स

3. अल्पिता पुत्री घीसालाल
4. कमला पुत्री गोपाल
5. कालूराम पुत्र गोपाल
6. घीसी पुत्री राधाकिशन
7. प्रकाशदेवी पत्नि स्व0 घीसालाल
8. भागचन्द पुत्र राधाकिशन
9. मनीष पुत्र घीसालाल
10. मानीदेवी पत्नि स्व0 लादू
11. रामकन्या पत्नि स्व0 गोपाल
12. लादू पुत्र नारायण
13. लालाराम पुत्र गोपाल
14. विमला पुत्री राधाकिशन
15. सुन्दर पत्नि स्व0 महादेव
16. सायरी पत्नि स्व0 राधाकिशन
17. सोनू पुत्री राधाकिशन
18. धर्मराज पुत्र हीरा
19. पुजा पुत्री हीरा
20. भूरी पुत्री हीरा
21. रामधन पुत्र हगामा
22. रीना पुत्री हीरा
23. लाली पुत्री हगामा
24. श्रवण पुत्र हगामा
25. संतोक पत्नि हगामा
26. सरोज पुत्री हीरा

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

27. लाला पुत्र रामचन्द्र
28. सायरी पत्नि हीरा समस्त जातिगण जाट निवासीगण चापानेरी तहसील भिनाय जिला केकडी

प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 75 भू.राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अधिवक्ता अपीलान्ट

निर्णय दिनांक 03.10.2023

अपीलार्थीया ने अपनी अपील में सारांशतः निवेदन किया है कि ग्राम चापानेरी पटवार हल्का चापानेरी, भू.अभिलेख निरीक्षक चापोनरी तहसील भिनाय की जमाबंदी संवत् 2072–2075 जमाबंदी 2076 वर्ष 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 930 में दर्ज खसरा नं. 209 रकबा 2.38, 210 रकबा 0.06 किता–2 रकबा 2.44 है0, खाता सं. 931 में दर्ज खसरा नं. 194 रकबा 0.80, 215 रकबा 0.89 किता–2 रकबा 1.69 है0, खाता सं. 932 में दर्ज खसरा नं. 217 रकबा 3.88, 223 रकबा 2.00, 224 रकबा 0.90, 225 रकबा 0.01, 226 रकबा 1.03, 228 रकबा 1.94 229 रकबा 1.97 किता–7 रकबा 11.73 है0, खाता सं. 933 में दर्ज खसरा नं. 2185 रकबा 0.45, 2195 रकबा 0.35, 791 रकबा 0.02, 823 रकबा 0.30 किता–4 रकबा 1.12, खाता सं. 934 में दर्ज खसरा नं. 2227 रकबा 0.01, 2566 रकबा 0.15, 2567 रकबा 0.39, 2574 रकबा 0.10 किता–4 रकबा 0.65 है0, खाता सं. 935 में दर्ज खसरा नं. 2226 रकबा 0.19, 2231 रकबा 0.01, 2556 रकबा 0.03, 2581 रकबा 0. 02, 879 रकबा 0.55, 884 रकबा 0.02, 885 रकबा 0.02, 886 रकबा 0.41 किता– 8 रकबा 1.25 है0 खाता सं. 936 में दर्ज खसरा नं. 2230/4716 रकबा 0.09, 2232 रकबा 0.09, 2369 रकबा 0.64, 2371 रकबा 0.03, 2372 रकबा 0.30, 243 रकबा 0.44, 244 रकबा 1. 30, 2442 रकबा 0.03, 2554 रकबा 0.14, 2555 रकबा 0.21, 2558 रकबा 0.34, 2559 रकबा 0.37, 2562 रकबा 0.16, 2563 रकबा 0.46, 2564 रकबा 0.10, 2565 रकबा 0.54 किता– 16 रकबा 5.24 है0 भूमियो में अपीलार्थीया के पिता श्री महोदव जाट की विरासत नामान्तकरण सं. 458 दिनांक 25.09.2004 दर्ज करते समय बिना विधिक जांच किए अपीलार्थीया का नाम उच्छबा दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलार्थीया का सही नाम दीपा पुत्री महोदव कौम जाट दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन राजकीय कार्मिकों द्वारा अपीलार्थी के पिता के वारिसान की बिना जांच किए अपीलार्थी का ना दीपा के स्थान पर उच्छबा दर्ज कर ग्राम पंचायत चापानेरी के समक्ष नामान्तकरण सं. 458 दिदनांक 25.09. 2004 प्रस्तुत कर दिया जिसे तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत चापानेरी द्वारा बिना विचार किए नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया। अपीलार्थीया द्वारा इसकी जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर जानकारी होने के बाद यह अपील प्रस्तुत की हैं। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चापानेरी द्वारा स्वीकृत नामन्तकरण सं. 458 दिनांक 25. 09.2004 निरस्त फरमावें तथा सक्षमाधिकारी से अपीलार्थीया के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर राजस्व अभिलेख में अमल करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

राजस्व अपील दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 3 9, 13, 15, 17 लगायत 28 नोटिस तामिली बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 4 लगायत 8, 10,11,13,14, 16 की ओर से अधिवक्ता श्री गजानन्द रावत ने वकालत नामा प्रस्तुत कर अपीलार्थी के पक्ष में जवाब पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी के संबंध में सहमति प्रदान की। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा कोई लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

अपील मीमो पर वकील अपीलार्थीया एवं उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए अपील अपीलार्थी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपीलार्थी का पहचान प्रमाण पत्र जारी कर अपील अपीलार्थी की पुष्टि की है। अप्रार्थी सं. 2 ने नामान्तकरण सं. 458 दर्ज करते समय साक्ष्यी दस्तावेज का अभाव होना स्वीकार किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम चापानेरी द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण 458 दिनांक 25.09.2004 का अध्ययन किया गया। उक्त नमान्तकरण में अपीलार्थी के पिता श्री महादेव की मृत्यु दिनांक 15.01.2003 को होने के परिणामस्वरूप श्री महादेव जाट का फौती नामान्तकरण दर्ज कर विरासत दर्ज किया जाना पाया गया लेकिन नामान्तकरण पत्रक पर अथवा नामान्तकरण के संलग्न ऐसा कोई भी विधिक दस्तावेज अथवा विरासत प्रमाणीकरण का विधिक अंकन नहीं पाया गया कि जिससे यह सिद्ध हो कि तत्समय श्री महादेव की विरासत दर्ज की गई तब पूर्णतया जांच पडताल कर विधिक रूप से उच्छबा का नाम दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होना पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख के विपरीत निर्णय करते हुए नामान्तकरण सं. 458 पर आदेश दिनांक 25.09.2004 पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील प्रार्थीया स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.09.2004 खारिज किये जाकर तहसीलदार भिनाय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता हैं कि तहसीलदार भिनाय संबंधित पक्षकारान को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)